यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **प्रभारी** चिकित्सा **अ धकारी, प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्र, डुंडा (उत्तरकाशी)** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभारी** चिकित्सा **अ धकारी, प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्र, डुंडा** के माह 04/2012 से 12/2017 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, **श्री प्रीतांशु कुमार** सहायक लेखापरीक्षा **अ धकारियों** एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 02.01.2018 से 05.01.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की **प्रथम लेखा परीक्षा है**। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 12/2017 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

   इकाई द्वारा उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने हेतु आवश्यक मूल–भूत सुविधाओं की ब्यवस्था करना, चिकित्सालय में रोगियों को निःशुल्क उपचार करना, औषधि क्रय, निःशुल्क वितरण इत्यादि सुविधाऐं प्रदान करना है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र **सम्पूर्ण वकास खण्ड** है, जिसमें आने वाले समस्त रोगियों का ईलाज किया जाता है।

   (ii) (अ) विगत पॉच वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2012–13	0	0	194.34	183.35	3.28	2.06	-	11.00	-	1.22
2013–14	0	0	213.40	208.88	5.66	4.70	-	4.52	-	0.96
2014–15	0	0	259.93	246.85	3.56	3.00	-	13.08	-	0.56
2015–16	0	0	357.71	311.44	4.22	3.46	-	46.27	-	0.76
2016–17	0	0	369.18	341.37	3.50	3.42	-	27.81	-	0.08
2017–18 (12/2017)	0	0	337.88	313.38	1.40	0.65	-	24.50	-	0.75

नोटः बजट की अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित की जाती है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2012–13	एन0एच0एम0	5.48	34.36	34.06		5.78
2013–14		5.78	60.40	57.47		8.71
2014–15		8.71	85.19	85.70		8.20
2015–16		8.20	100.25	98.26	–	10.19
2016–17		10.19	104.09	104.30	–	9.98
2017–18 (11/2017)		9.98	22.76	21.19	–	11.55

(iii) इकाई को बजट आबंटन राज्य सरकार मद हेतु महानिदेशक स्तर तथा एन0एच0एम0 का बजट मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "सी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

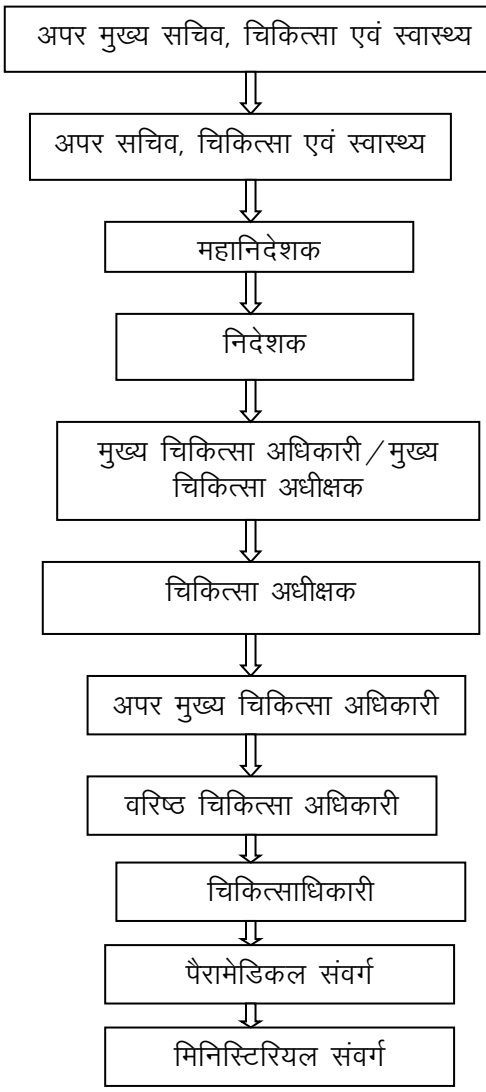

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय **प्रभारी** चिकित्सा **अ धकारी, प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्र, डुंडा (उत्तरकाशी)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **प्रभारी** चिकित्सा **अ धकारी, प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्र, डुंडा (उत्तरकाशी)** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2016, मार्च 2017 एव **जनवरी** 2015 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर-1 : **जननी सुरक्षा योजना योजना के अन्तर्गत रु0 15.30 लाख का अनियमित व्यय भुगतान।**

राष्ट्रीय कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005 में प्रारम्भ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना था ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु की दर को कम किया जा सके। जननी सुरक्षा योजना की निर्देशिका के अनुसार सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव कराने पर महिला को प्रोत्साहन राशि के रुप में ग्रामीण क्षेत्र में रु0 1,400 एवं शहरी क्षेत्र में रु0 1,000 का भुगतान चैक के माध्यम से किया जाना चाहिए। योजना के अधीन लाभार्थी को प्रोत्साहन निधि के वितरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार (i) प्रसव की सम्भावित तिथि से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक महिला लाभार्थी हेतु जे0एस0वाई0 कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजों सहित उसे प्रसव की सम्भावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी को डिस्चार्ज करते समय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सके, (ii) लाभार्थी को प्रसव के पश्चात् कम से कम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुकना आवश्यक है, (iii) लाभार्थी को चिकित्सालय से डिस्चार्ज करते समय अनिवार्य रुप से देय राशि का भुगतान किया जाना चाहिए एवं प्रसव से सात दिन पूर्व या सात दिन पश्चात् किया गया कोई भी भुगतान अवैध माना जायेगा एवं (iv) लाभार्थी को मृत प्रसव के मामले में प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आशाओं को नकद प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में दी जाएगी, जिसमें प्रथम 50 प्रतिशत राशि लाभार्थी महिला के स्वास्थ्य केन्द्र से डिस्चार्ज के पश्चात् दी जाएगी वशर्ते सम्बन्धित आशा गर्भवती महिला के साथ स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव के समय रही हो तथा अवशेष 50 प्रतिशत राशि प्रसव के एक माह पश्चात् दी जाएगी जब बी0सी0जी0 वैक्सीन बच्चे को दी गयी हो और नवजात शिशुओं के जन्म के समय आशा ने देखभाल और जन्म के पंजीकरण में सहायता की हो।

कार्यालय **प्रभारी** चिकित्सा **अ धकारी, प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्र, डुंडा (उत्तरकाशी)** के जननी सुरक्षा योजना से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि वर्ष 2012–13 से 2017–18 (11/2017) तक कुल 620 लाभार्थियों एवं 1931 आशाओं (वर्ष 2012-13: 261, 2013-14: 351, 2014-15: 419, 2015-16: 445, 2016-17: 455, 2017-18(11/2017):0) को क्रमशः रु0 8.59 लाख एवं रु0 10.93 लाख[1] का भुगतान किया गया। लाभार्थियों को किए गये कुल भुगतान रु0 8.59 लाख में से रु0 4.37 लाख अनियमित था क्योंकि प्रसव के पश्चात् लाभार्थी स्वास्थ्य केन्द्र में न्यूनतम निर्धारित 48 घण्टे रुके ही नहीं। आगे, अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि लाभार्थियों एवं आशाओं को किया गया रु0 15.30 लाख (महिला लाभार्थी : रु0 4.37 लाख एवं आशा : रु0 10.93 लाख) का भुगतान जे0एस0वाई0 योजना के दिशा–निर्देशों के विपरीत किया गया था, जिसके उदाहरण निम्नवत् हैः–

1. जनपद में गर्भवती महिलाओं के प्रकरणों में जे0एस0वाई0 कार्ड तैयार ही नहीं किए गये थे।
2. संस्थागत प्रसव कराने वाली 312 महिलाओं को प्रोत्साहन राशि रु0 4.37 लाख बिना न्यूनतम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुके प्रदान किया गया था।
3. समस्त प्रकरणों में आशाओं को प्रदत्त प्रोत्साहन राशि रु0 10.93 लाख एक ही किश्त में भुगतान किया गया था, जबकि आशाओं को प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में दी जानी चाहिए थी।

इस प्रकार, योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि वितरण हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए योजना के अन्तर्गत रु0 15.30 लाख का अनियमित व्यय भुगतान किया गया। वर्ष 2012–13 से 2017–18 (11/2017) तक हुए संस्थागत प्रसवों एवं प्रोत्साहन राशि वितरण का विवरण निम्नवत् हैः–

[1] वर्ष 2012–13 : रु0 74200 वर्ष 2013–14 : रु0 74200 वर्ष 2014–15 : रु0 126000 वर्ष 2015–16 : रु0 72800, वर्ष 2016–17 : रु0 46200 एवं वर्ष 2017–18 : रु0 43400

वर्ष	क्षेत्र	कुल संस्थागत प्रसवों की संख्या	48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्रों में रुकने वाले लाभार्थियों की संख्या	48 घण्टे से कम स्वास्थ्य केन्द्रों में रुकने वाले लाभार्थियों की संख्या (Col.3–4)	भुगतान किए गये लाभार्थियों की संख्या	प्रदत्त राशि (ग्रामीण @ 1400 एवं शहरी @ 1000)	देय राशि (ग्रामीण @ 1400 एवं शहरी @ 1000)	आधिक्य भुगतान (Col.7 – Col.8)	आशाओं की संख्या	आशाओं को भुगतान (रु.)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
2012-13	ग्रामीण	111	58	53	111	155400	81200	74200	261	91350
	शहरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013-14	ग्रामीण	113	60	53	113	158200	84000	74200	351	210600
	शहरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014-15	ग्रामीण	145	55	90	145	20300	77000	126000	419	251400
	शहरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015–16	ग्रामीण	115	63	52	115	161000	88200	72800	445	267000
	शहरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016–17	ग्रामीण	83	50	33	83	116200	70000	46200	455	273000
	शहरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017–18 (11/2017)	ग्रामीण	53	22	31	53	74200	30800	43400	0	0
	शहरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योगः–	**ग्रामीण**	**620**	**308**	**312**	**620**	**868000**	**431200**	**436800**	**1931**	**1093350**
	शहरी	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
महायोगः		**620**	**308**	**312**	**620**	**868000**	**431200**	**436800**	**1931**	**1093350**

इस प्रकार, योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि वितरण हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए योजना के अन्तर्गत रु0 15.30 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर **प्रभारी** चिकित्सा **अ धकारी, प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्र, डुंडा (उत्तरकाशी)** ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि अधिकतर प्रकरणों में प्रसव के पश्चात महिलाऐं तथा तीमारदार चिकित्सालय में रुकना नहीं चाहती हैं तथा लिखित अनुरोध के पश्चात् ही डिस्चार्ज किया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि के वितरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुपालन पर ही लाभार्थियों को भुगतान किया जाना चाहिए था। इसप्रकार योजना में निर्धारित शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर उनको देय भुगतान अमान्य था।

अतः जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रु0 15.30 लाख के अनियमित व्यय के साथ अधिक भुगतान के प्रकरण **उच्चा धकारियों** के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2: त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणास्वरुप रु0 1.54 लाख का अधिक भुगतान।

शासनादेश संख्या 41/xxvii/7 सी भर्ती/2009 दिनॉक 13.02.2009 के अनुसार यदि किसी कार्मिक की भर्ती दिनॉक 01.01.2006 अथवा इसके पश्चात् सीधी भर्ती से हुयी हो तो उनके वेतन बैण्डों एवं ग्रेड वेतन पर न्यूनतम प्रविष्टि वेतन पर वेतन निर्धारित किया जाएगा तथा शासनादेश संख्या 2084/XXVIII-3-2013-142/2008 दिनॉक 31.12.2013 के अनुसार चीफ फार्माशिष्टों/ फार्माशिष्टों उच्चीकृत किया गया था।

कार्यालय **प्रभारी** चिकित्सा **अ धकारी**, **प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्र, डुंडा (उत्तरकाशी)** के सेवा पुस्तिकाओं की नमूना जॉच में पाया गया कि चिकित्सालय में कार्यरत 02 चीफ फार्माशिष्टों/फार्माशिष्टों का वेतन निर्धारण शासनादेश दिनॉक फरवरी 2009 एवं दिसम्बर 2013 में प्रावधानित दिशा–निर्देशों के विपरीत अधिक वेतन निर्धारण किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। इसप्रकार, त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणामस्वरुप चिकित्सालय के अधीन 02 चीफ फार्माशिष्टों/फार्माशिष्टों को रु0 1.54 लाख का अधिक वेतन भुगतान किया गया।

(विस्तृत विवरण **संलग्नक–1 से 2** में दिया गया है।)

		देय वेतन		प्रदत्त वेतन		
नाम	वर्ष/माह	वेतन	ग्रेड वेतन	वेतन	ग्रेड वेतन	आ धक्य वेतन
गणेश राम नौटियाल	12/2013	17490	6600	18750	6600	-1260
''	09/2014	19390	7600	21900	7600	-2930
मुकेश कुमार	07/2015	16120	6600	18750	6600	-2630
योग		168090		187650		**-6820**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर **प्रभारी** चिकित्सा **अ धकारी** ने अपने उत्तर में बताया कि शासन के आदेश संख्या 41 दिनांक 31.12.2013 के अंतर्गत कया गया है और प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान मे लाकर कार्यवाही/वसूली की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्यों क उक्त शासनादेश के अंतर्गत उन का र्मकों को लाभ दिया जाना था जिनकी नियुक्ति 1.1.2006 के बाद सीधी भर्ती द्वारा हुई थी।

अतः कुल 1.54 लाख का त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण का र्मकों को अ धक भुगतान का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणास्वरुप रु0 1.54 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर-03 : अन्य जनपद में सम्बद्वता के कारण रु0 12.17 लाख का अनियमित भुगतान।

महानिदेशक के पत्रांक स. 684/xxव111-3-2016-76/2015 दिनक 30.6.2016 के अनुसार समस्त वभागाध्यक्ष को यह आदे शत कया गया था की उनके वभाग मे कार्यरत का र्मको जो अन्य कार्यालयों मे सम्बद्ध है तत्काल प्रभाव से कार्यालय मे वापस बुलाया जाये। मुख्य च कत्सा अधीक्षक उत्तरकाशी की नवम्बर *2017* के वेतन बिल (Pay Bill) एवं उपस्थिति पंजिका (Attendance Register) के तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया क निम्न लखत एक का र्मक - गुड्डी मटुड़ा की उपस्थिति पंजिका में दर्ज नहीं पायी गयी। इस प्रकार शासन के दिशा निर्देश का पालन नहीं कया गया जब क उनका वेतन जून 2016 से नवम्बर *2017* तक रु. 12.17 लाख आहरित कया गया, जिसका ववरण निम्नवत है :-

Name of Employear	Degnation	year	Gross Pay
Guddi Matuda	Health Worker	6/2016— 02/2016	4.75 लाख
		03/2016- 11/2017	7.42 laakh
		योग	12.17 लाख

उपरोक्त प्रकरण की तरफ लेखा परीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बतलाया क अन्य का र्मकों से कार्य लया जा रहा है और स्वास्थ्य कारणों से संबं धत कर्मी को नहीं बुलाया गया। उत्तर लेखा परीक्षा को स्वीकार्य नहीं है क्यों क कार्यालय मे स्वीकृत पद से कम संख्या मे का र्मकों के कार्यरत होने की स्थिति मे उनको कहीं और सम्बद्ध कया जाना तर्कपूर्ण नहीं था और शासनादेश के दिशा-निर्देशों के वपरीत था।

अतः अन्य जनपद में सम्बद्वता के कारण रु0 12.17 लाख के अनियमित भुगतान का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–1: मात्रा 3900/- की कालातीत औषधियों का वितरण।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डुंडा (उत्तरकाशी) के औषध भंडार से संबन्धित अभिलखों की नमूना जांच मे पाया गया कि कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2017-18 (11/2017) के मध्य कार्यालय को प्राप्त औषध मे से वर्ष 2017-18 मे दो औषध जिनका निम्नलिखित सारणी मे दिया गया है, कुल मात्र 3900 थी, माह 07/2017 एवं 06/2017 मे कालातीत हो गयी थी। परंतु औषधी को कालातीत होने के बाद भी वितरित किया गया था। आगे जांच मे यह पाया गया कि औषध भंडार पंजिका/स्कन्ध पंजिका का भौतिक सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया था। वर्ष 2012-13 से 2016-17 की औषध भंडार पंजिका मे कालातीत होंने की तिथि अंकित नहीं की गई थी।

क्रम संख्या	औषधी का नाम	कालातीत होने की तिथि	वितरण की तिथि	कालातीत के पश्चात अवशेष मात्रा	कालातीत के पश्चात वितरित की मात्रा
01	Tab amoxcilin	07/17	17/08/2017 to 14/09/2017	1000	1000
02	Tab diclofenec sodium 50 gm	06/2017	01/07/2017 to 12/01/2017	2900	2900

उपरोक्त के संबंध मे इकाई से पुछे जाने पर उत्तर मे बतलाया कि मांग से अधिक औषधी उपलब्ध कराई गई थी। कालातीत औषधियों का वितरण त्रुटिवश हो गया था और भविष्य मे ध्यान रखा जाएगा। उत्तर लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि कालातीत औषधीयों का वितरण किए जाने से रोगयों की जान को भी खतरा हो सकता है और गंभीर लापरवाही का द्योतक है।

अतः मात्रा 3900/- की कालातीत औषधियों का वितरण किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:**2-** अर्जित ब्याज रु. **0.25** लाख नियमानुसार राजकोष मे नहीं जमा कराया जाना।

उत्तराखंड सरकार का शासनादेश संख्या-99/xxvii(14)/2009 दिनांक 03 सतंबर 2009 आदे शत करता है क समे कत नि ध से आहरित धनरा श पर अर्जित ब्याज रा श को राजकोष मे लेखाशीर्षक 0049-ब्याज प्राप्तियाँ के अंतर्गत जमा कया जाय।

कार्यालय प्रभारी च कत्सा अ धकारी, डुंडा (उत्तरकाशी) के स्थापना की रोकड़-बही एवं संबन्धित अ भलेखों की नमूना जांच मे पाया गया क वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक कार्यालय प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्र डुंडा (उत्तरकाशी) के बचत खाते मे रु. 0.25 लाख का ब्याज संक लत हुआ था। इस प्रकार संक लत ब्याज रु. **0.25** लाख नियमानुसार राजकोष मे जमा करा दिया जाना चाहिए था, परंतु यह ब्याज रा श कार्यालय के खातों मे अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। इस ब्याज रा श का उपयोग अन्य जनहित के कार्यों मे कया जा सकता था।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे कहा क ब्याज रा श को भ वष्य मे जमा कर दिया जाएगा।

अतः अर्जित ब्याज रु. **0.25** लाख नियमानुसार राजकोष मे जमा नहीं कए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:**3** रोकड़ बही के साथ ई -भुगतान की धनरा श की प्र वष्टि का अंकन नहीं कया जाना।

शासन के पत्रांक सं - 3/ (6)/2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार 'आहरण एवं सं वतरण अ धकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनरा श सम्बं धत बैंक खातें में अंतरण हो जाने के ववरण का प्रंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बं धत अ भलेखों – यथा 11 सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्र वष्टि यथा स्थान पर करेंगे इसके अतिरिक्त, Form BM- 05 में द्वारा सम्बं धत माह में कये गये लेनदेनों के सत्यापन हेतु स्पष्ट रूप से व र्णत है क "" ertified that all the drawals shown in the statement are correct except the followings ones (if any) which have not been made by me'' and ''Besides the above the following are also the drawals (if any) by me during the month which have not been shown in the statement."

प्रभारी च कत्सा अ धकारी प्राथ मक स्वास्थ्य केन्द्र डुंडा की स्थापना ब्यय से संबन्धित अ भलखों की जांच मे पाया गया क लेखा परीक्षा अव ध 201-13 से 2017-18 के दौरान कार्यालय मे रोकड़-बही का रख रखाव नहीं कया जा रहा था। उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु कार्यालय मे मुख्य रोकड़ बही नहीं बनाए जाने की स्थिति मे ई-भुगतान की प्र वष्टियाँ पूरक रोकड़ बही मे कया जाना अपे क्षत था परंतु कार्यालय मे कसी भी प्रकार की रोकड़बही नहीं बनाई गई थी। अतः चयनित माह की वस्तृत लेखापरीक्षा जाँच में चयनित माह मार्च 2016 के रु. 31.94 लाख एवं मार्च 2017 के रु. 37.71 लाख की सकल धनरा श ब्यय (ट्रेजरी के माध्यम से ब्ययित एवं Form BM- 5 (सीटीआर) मे अं कत) अर्थात कुल रू 69.65 लाख की सकल धनरा श का मलन रोकड़-बही से नहीं कया जा सका।

उपरोक्त के संबंध मे लेखा परीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बतलाया क कार्यालय मे समस्त भुगतान ऑनलाइन होने के कारण कैशबुक नहीं बनाई जा रही है एवं उक्त शासनादेश का ज्ञान नहीं होने के कारण ई-भुगतान की प्र वष्टियाँ रोकड़-बही मे दर्ज नहीं की गई। उत्तर मान्य नहीं है क्यों क उक्त शासनादेश वर्ष 2013 का है अर्थात चार साल पुराना है।

अतः रोकड़ बही नहीं बनाए जाने के साथ ई -भुगतान की धनरा श की प्र वष्टि का अंकन नहीं कये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
	- इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है -		

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

— शून्य —

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **प्रभारी** चिकित्सा **अ धकारी, प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्र, डुंडा (उत्तरकाशी)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

(i)
(ii) } –– शून्य ––

2. **सतत् अनियमितताऐंः**

(i)
(ii) } –– शून्य ––

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	डा0 **हरेन्द्र कुमार**	**प्रभारी** चिकित्सा **अ धकारी**	04/2012 से 08/2017 **तक**
2.	डा0 **सूरज संह**	**प्रभारी** चिकित्सा **अ धकारी**	09/2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **प्रभारी** चिकित्सा **अ धकारी, प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्र, डुंडा (उत्तरकाशी)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.